समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र सी.आर.सी. - गोरखपुर

(एन.आई.ई.पी.एम.डी., डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

COMPOSITE REGIONAL CENTRE FOR SKILL DEVELOPMENT, REHABILITATION & EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRC)- GORAKHPUR

(NIEPMD, DEPwD, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India)

कोरोना वायरस से सामाजिक दूरी ही बचाव है।

" घर मे रहें, सुरक्षित रहें "

इस हेतु सी. आर. सी. - गोरखपुर की सभी सेवाएं लॉक डाउन के दौरान ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

उपलब्ध सेवाएंः

1. परामर्श 2. ऑनलाइन विडियोज 3. वर्क शीट्स 4. व्यक्तिगत सम्पर्क (मोबाइल पर उपलब्धता)

विशेष शिक्षा विभाग- सम्पर्क सूत्रः नीरज मधुकर 9817425955 नागेन्द्र पाण्डेय 7985241129 अरविन्द पाण्डेय 9968885222

वाणी एवं भाषा विभाग- सम्पर्क सूत्रः रवि कुमार 9798156456 रौबिन 7416823141

फिजियोथरेपी विभाग- सम्पर्क सूत्रः विजय कुमार गुप्ता 9336296155

ऑक्युपेशनलथरेपी विभाग- सम्पर्क सूत्रः अमित कुमार कच्छप 9608691149

नैदानिक मनोविज्ञान विभाग- सम्पर्क सूत्रः राजेश कुमार 8858048595 संजय सिंह 8887696350

समाज कार्य विभाग- सम्पर्क सूत्रः राजेश यादव 9451834952

समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एंव दिव्यांगजन सशक्तिकरण केन्द्र – गोरखपुर
COMPOSITE REGIONAL CENTRE FOR SKILL DEVELOPMENT, REHABILITATION & EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRC), GORAKHPUR
राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, देहरादून
(Under the administrative control of NIEPVD, Dehradun)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, भारत सरकार
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), M.S.J. & E., Govt. of India
10 सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, पार्क स्ट्रीट, सिविल लाइन, गोरखपुर (उ.प्र.)- 273001, दूरभाष 0551- 2202024 E-mail-crcgkpr@gmail.com
10, Sitapur Eye Hospital, Park Street, Civil Lines, Gorakhpur (UP), PIN-273009, Ph: 0551- 2202024 E-mail-crcgkpr@gmail.com

सूचना

सी.आर.सी.–गोरखपुर के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सुचित किया जाता है कि कोविड–19 महामारी कि वजह से स्थगित हुई ओ.पी. डी. की समस्त सेवाएं पुनः सूचारु रुप प्रारम्भ कर दी गई है। इसके लिए निम्नलिखित दिशा – निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना अत्यावश्यक है।

1– अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए नियम एवं निर्देश

सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि–

1. सेवा प्रदान करते समय मास्क तथा हैण्ड ग्लब्स लगाना सुनिश्चित किया जाये।
2. परिसर में प्रवेश करते समय मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग तथा हाथों को सेनेटाइज करना सुनिश्चित किया जाये।
3. अपने विभाग के दरवाजे, खिडकियों के हैण्डल एवं सर्विस के दौरान उपयोग होने वाले उपकरणों को दिन में 3–4 बार स्वयं सेनेटाइज करें।
4. विभाग में आए हुए किसी भी नए लाभार्थी को सर्वप्रथम थर्मल स्क्रीनिंग एवं पूर्णतः सेनेटाइज करने के पश्चात ही सेवाएं प्रदान करें।
5. किसी भी प्रकार की सेवा जिसमें संक्रमण की सम्भावना है, उससे बचाव करना है।
6. कमरे में एक समय में केवल एक लाभार्थी को ही सेवाएं प्रदान करें।
7. अपने – अपने कक्ष में ही बैठना है, यदि आवश्यक हो तो उचित दूरी बनाकर मीटिंग कर सकते हैं।
8. लाभार्थीयों को सेवाएं देने से पहले और सेवाएं देने के पश्चात अपने हाथों को साबुन से धोना अथवा सेनेटाइज करना अति आवश्यक है।
9. सोशल डिस्टन्सिंग के नियमों का पालन करते हुए अभिभावक अथवा आगंतुक के बैठने / प्रतीक्षा करने के स्थान को चिन्हित किया जाना आवश्यक है।
10. सेवाएं देते समय लाभार्थीयों को मास्क और हैण्ड ग्लब्स लगाना अत्यावश्यक है ।
11. परिसर में साफ – सफाई तथा सेनेटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाए।

2– सफाई कर्मचारी और मल्टी टास्किंग स्टॉफ हेतु निर्देश–

1. सी.आर.सी. के परिसर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम थर्मल स्क्रीनिंग करानी है, हाथों को सेनेटाइज करना है, तत्पश्चात समस्त विभागों में सफाई का कार्य उचित दूरी बनाते हुए शुरु करना है।
2. सभी विभाग के टेबल, मेज, कुर्सी और उपयोग में आने वाले उपकरण को अच्छे से साफ कर सेनेटाइज करना है।
3. दिन में साबुन से कम से कम 10–12 बार हाथ धोना है।

4. पूरे परिसर में प्रत्येक दो घण्टे बाद फिनाईल से सफाई करनी है।

5. सी.आर.सी परिसर में इतंजार कर रहे अभिभावको के बीच उचित दूरी और सफाई का विशेष ध्यान रखना है।

3– सुरक्षा गार्ड हेतु निर्देश–

1. सी.आर.सी परिसर में आने वाले प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी, लाभार्थी एवं उनके साथ आए हुए अभिभावकों को गेट पर प्रवेश से पहले उचित दूरी बनाकर थर्मल स्क्रीनिंग करें, यदि कोई संदिग्ध पाया गया, तो उसका प्रवेश वर्जित करें।

2. सी.आर.सी परिसर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थी और उनके साथ में आए हुए अभिभावक को सेनेटाइज करें तथा बिना मास्क के प्रवेश वर्जित करें।

3. प्रत्येक लाभार्थी के साथ केवल एक ही अभिभावक को सी.आर.सी के परिसर में प्रवेश दिया जाए।

4. यह भी सुनिश्चित करना है कि पंजीकरण कक्ष में गए हुए पहले लाभार्थी के बाहर आने के पश्चात ही दूसरे लाभार्थी को कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करें।

5. यह भी सुनिशिचित करना कि पंजीकरण कक्ष के बाहर इंतजार कर रहे लाभार्थी और उनके अभिभावक उचित दूरी बनाकर रखें।

6. सभी अभिभावकों / आगंतुक को चिन्हित स्थानों पर ही प्रतीक्षा कराना / बैठना सुनिश्चित किया जाये।

7. कोई भी लाभार्थी, अभिभावक तथा आगंतुक अनावश्यक रुप से सी.आर.सी परिसर में भ्रमण न करें यह भी सुनिश्चित किया जाये। गुटका, पान, तम्बाकू खाए हुए अभिभावक / आगंतुक को प्रवेश की अनुमति न दी जाये।

4– अभिभावक हेतु निर्देश–

1. सी.आर.सी परिसर में प्रवेश करने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग तथा सेनेटाइजेशन करवाएं।

2. पंजीकरण कक्ष में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंजतार करें।

3. सेवा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है।

4. विभाग में सेवा लेते समय किसी भी उपकरण को अनावश्यक रुप से छूने से बचें।

5. यथासम्भव फॉलोअप के लिए आने से पूर्व चिकित्सक से फोन पर समय निर्धारित कर लें।

6. सोशल डिसटेंसिंग कें नियमों का पालन करते हुए चिन्हित स्थानों पर ही प्रतीक्षा करें तथा कम से कम 2 गज की दूरी बनाना सुनिश्चित करें, अनावश्यक रुप से सी.आर.सी परिसर में न घूमें।

7. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जल्दी सेवाएं देने का दबाव न बनाएं।

8. परिसर में किसी भी तरह की गन्दगी न फैलाये। सी.आर.सी परिसर में गुटका, पान, तम्बाकू इत्यादि लेकर आना और उसका सेवन करना तथा थूकना पूर्णतः वर्जित है।

(रमेश कुमार पाण्डेय)
निदेशक

C.R.C.-Gorakhpur
नोवल कोरोनावायरस
COVID-19
आपस में उचित दूरी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी...
अस्पताल, मॉल, मार्केट, थिएटर, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन आदि स्थानों में एक-दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें ।
घर से कार्य करें और जहां तक संभव हो, मीटिंग कक्षाओं, ट्यूटोरियल, कार्यशालाओं आदि से बचें ।
यदि सामाजिक कार्यक्रम स्थगित नहीं किए जा सकते, तो मेहमानों की संख्या सीमित रखें ।
सार्वजनिक स्थलों या भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें ।
अनावश्यक सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल संबंधित आयोजन आदि में भाग न लें ।
एक- दूसरे से मिलते समय हाथ मिलाने और गले लगने से बचें ।
अनावश्यक यात्रा न करें ।
पर्यटन के लिए न जाएं ।
समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.)- गोरखपुर
(एन.आई.ई.पी.वी.डी., डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
10, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर, पार्क रोड, सिविल लाइन, गोरखपुर- 273001
फोन : 0551 - 2202024, ई-मेल : crcgkpr@gmail.com

समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.)- गोरखपुर

(एन.आई.ई.पी.वी.डी., डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी., सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

10, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर, पार्क रोड, सिविल लाइन, गोरखपुर- 273001

फोन : 0551 - 2202024, ई-मेल : crcgkpr@gmail.com

नोवल कोरोनावायरस
COVID-19

आपस में उचित दूरी, सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी...

- सी.आर.सी. परिसर में प्रवेश करने से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग तथा सेनेटाइजेशन करवाएं।
- पंजीकरण कक्ष में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार करें।
- सर्विस के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है ।
- विभाग में सर्विस लेते समय किसी भी उपकरण को अनावश्यक रूप से छूने से बचें।
- यथासम्भव फॉलोअप के लिए आने से पूर्व विशेषज्ञ से फोन पर समय निर्धारित कर लें।
- सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए चिन्हित स्थानों पर ही प्रतीक्षा करें तथा कम से कम दो गज की दूरी बनाना सुनिश्चित करें, अनावश्यक रूप से सी.आर.सी. परिसर में ना घूमें।
- किसा भी अधिकरी/कर्मचारी पर जल्दी सेवाएं देने का दबाव ना बनाएं।
- परिसर में किसी भी तरह की गन्दगी ना फैलाएं।
- सी.आर.सी. परिसर में गुटका, पान, तम्बाकू इत्यादि लेकर आना और उसका सेवन करना तथा थूकना पूर्णतः वर्जित है।

कोरोना से बचाव के लिए करें ये काम......

- हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोए या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें
- टिशूज नहीं है तो छीकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें
- खांसते और छीकते समय डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें
- बिना हाथ धोये अपनी आँखों, नाक और मुँह को न छुएँ
- इस्तेमाल किये टिशूज को फेक दें
- जो बीमार है उनके संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें

समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.)- गोरखपुर
(एन.आई.ई.पी.वी.डी., डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी., सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
10, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय परिसर, पार्क रोड, सिविल लाइन, गोरखपुर- 273001
फोन : 0551 - 2202024, ई-मेल : crcgkpr@gmail.com